न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2009

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भंवरसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी नाणा तहसील बाली जिला पाली		1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री भैरूसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः–22/1/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 64/2009 में तहसीलदार बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2009 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का नाणा ने तहसीलदार बाली के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया कि खसरा नम्बर 914 कुल रकबा 1.9 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर गै0मु0 मगरी की भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा बाडा बनाकर अतिक्रमण कर कब्जा किया। इससे पूर्व दिनांक 19.06.2009 को श्रीमान के आदेशानुसार कब्जा हटाया गया, किन्तु प्रार्थी द्वारा पुनः कब्जा किया गया है। इस पर उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए दिनांक 24.06.2009 को अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया तथा पत्रावली दिनांक 30.06.2009 को नियत की गई। नियत तारीख पेशी को अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान कराने का निवेदन किया, किन्तु तहसीलदार बाली द्वारा अपीलाण्ट की कोई सुनवाई नहीं की एवं अपीलाण्ट को मौखिक रूप से बताया कि पत्रावली में आज ही निर्णय कर रहा हूं तथा तीन माह का सिविल कारावास एवं मोके पर पड़ी निर्माण सामग्री कुर्क व नीलाम करने एवं लगान के 50 गुणा राशि से दण्डित किया। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया तथा न ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए अपीलाण्ट को प्रतिरक्षा का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें जाहिर किया कि दिनांक 19.06.2009 को अतिक्रमण हटाया गया एवं दिनांक 24.06.2009 को अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करना बताया, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि वादग्रस्त भूमि के मौके पर पत्थरों की दीवार एवं झोपड़ा एवं खम्भे लगे थे, जिन्हे आंशिक रूप से तोडा गया था एवं अपीलाण्ट को बेदखल करना बताया था, जिस रूप में पटवारी हल्का ने उक्त झोपडे एवं दीवार को तोडा गया था, आज भी वे मोके पर उसी स्थिति में है। अपीलाण्ट द्वारा उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया तथा न ही यह संभव था कि दिनांक 19.06.2009 को दीवार तोडी गई हो एवं अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 24.06.2009 को पुनः निर्माण कार्य किया गया हो। यदि पटवारी हल्का ने दीवार तोडी एवं सामग्री कुर्क कर कब्जे राज ली गई, तो उक्त सामग्री किन व्यक्तियों को

अति० जिला कलेक्टर, पाली

सुपुर्द की गई एवं किस रूप में उक्त कुर्कसुदा सामग्री का निस्तारण किया गया ? ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही ही की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजनैतिक द्वेषतावश अपीलाण्ट के विरूद्ध गैर कानूनी रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की शुद्वता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण को किसी भी रूप में परीक्षित नही किया है तथा बिना किसी साक्ष्य सबूत के अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जो गैर वाज़िब है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम नाणा तहसील बाली के खसरा नम्बर 914 रकबा 1.09 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मगरा की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम नाणा तहसील बाली के खसरा नम्बर 914 रकबा 1.09 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मगरा की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार बाली के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार बाली द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भंवरसिंह को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में दो विधिक बिन्दु प्रकट होते है, जिनके विनिश्चय पर प्रकरण का निर्णय प्रभावित होगा, प्रथम – आया अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है ? तथा द्वितीय – आया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा माफ किए जाने योग्य है ? इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है, जिसमें पटवारी हल्का ने वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती कब्जा होना तथा पूर्व में बेदखल किया जाना जाहिर किया। इसे नकारने का कोई पर्याप्त एवं उचित कारण दर्शित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में अंकित किया कि गैरसायल ने सम्वत् 2065 में इसी भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिस पर प्रकरण संख्या 1654/09 न्यायालय नायब तहसीलदार बाली में दर्ज हुआ, जिसका निर्णय दिनांक 22.02.2009 को पारित किया जाकर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये गये तथा जुर्माना आरोपित किया। इस आदेश की पालना में दिनांक 16.06.2009 को पटवारी हल्का ने गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल किया गया। इसके पश्चात पुनः कब्जा करने के कारण पटवारी हल्का ने तहसीलदार बाली के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर जैर अपील प्रकरण दायर किया जाकर प्रक्रियानुसार जैर अपील निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2009 को अपीलाण्ट उपस्थित था तथा अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष

अति० जिला कलक्टर, पाली

जवाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा इसी दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये, तो अपीलाण्ट के इस कथन में कोई बल नहीं है कि उसे पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का नाना ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/16 दिनांक 21.06.2009 में यह अंकित किया कि दिनांक 19.06.2009 को उक्त भूमि से अतिक्रमी को बेदखल किया गया था व पत्थर इत्यादि कब्जा सरकार लिया जाकर पटवारी को सुपुर्द किया गया था, किन्तु भंवरसिंह पुत्र करणसिंह द्वारा आज दिनांक 21.06.2009 को कब्जा लिया जाकर पत्थर इत्यादि सामग्री वापस लेकर उसी स्थान पर अनाधिकृत कब्जा किया गया। सरकारी कब्जे के पत्थर ले जाने व पुनः अतिक्रमण करने हेतु अतिक्रमी के खिलाफ़ कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस तथ्य के विरोध में अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में जो फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है, वे पृथक पृथक कोण (Angle) से लिए गए है। जिसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में उक्त भूमि पर अपने पुराने कब्जे के समर्थन में खसरा परिवर्तनशील एवं जुर्माना की रसीदें प्रस्तुत की है, जिसके कारण जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता है। इस कारण दोनो ही विधिक बिन्दु अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रमाणित होते है। जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के फलरूवरूप तीन माह के सिविल कारवास की सजा को न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 64/2009 में तहसीलदार बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2009 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/1/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली